

The Information Technology (Amendment) Bill, 2025(Amendment of Section 2, etc.)-Introduced

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती भारती पारधी: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ ।
